



कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर । 25
संख्या 1398/आबकारी/व्यवस्थापन-45(2)/2020-21/विज्ञप्ति/दिनांक: जनवरी 2020
विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2020-21 की आबकारी नीति विषयक शासनादेश संख्या -11/2020/155ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 24.01.2020 एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 26444/दस- लाइसेंस -367/आबकारी नीति /2020-21 दिनांक 25.01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2020-21 हेतु देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप एवं भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन दिनांक 28.01.2020 से प्रारम्भ होगा। सर्वप्रथम वर्ष 2019-20 में व्यवस्थित एवं नवीनीकरण के लिए अर्ह पायी गयी दुकानों के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 28.1.2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) से दिनांक 03.02.2020 (पूर्वाह्न 11.00 बजे) तक ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर ऑनलाइन आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाइन नवीनीकरण के पश्चात जनपद की अवशेष मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से तीन चरणों में दिनांक 18.02.2020, 12.03.2020 एवं 24.03.2020 से किया जायेगा।

जनपद में मदिरा एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का नवीनीकरण एवं अवशेष दुकानों को ई-लाटरी के माध्यम से प्राप्त करने हेतु इच्छुक एवं अर्ह आवेदक जनपद की दुकानों की सूची अन्य आवश्यक विवरण एवं शर्तें जनपद की वेबसाइट <https://siddharthnagar.nic.in/> विभागीय वेबसाइट www.oldupexcise.in तथा ई-लाटरी पोर्टल www.upexciseelottery.gov.in पर देखी जा सकती है।



(रवीन्द्र प्रताप सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर


(रवीपक मीणा)
जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी
सिद्धार्थनगर।

संख्या 1399 / तददिनांक

प्रति- स्थानीय संवाददाता 1- दैनिक जागरण 2- अमर उजाला

को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में 13सेन्टीमीटर X13सेन्टीमीटर (लगभग) स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी
सिद्धार्थनगर।